अमित कंवर, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04.09.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.09..2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री कुलदीप सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, गैरसैंण साथ में रहे। रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण के स्थलीय निरीक्षण से पहले पेयजल आपूर्ति का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण :–

बॉध के निर्माण से गैरसैंण शहर व उससे जुड़े ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति होगी। निरीक्षण के दौरान पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित संरेखण में बांज के विभिन्न व्यास वर्गो के 218 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 737 वृक्षों सहित कुल 955 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

P.T.O.

पत्रांक 803 / 12-1 दिनांक 21-09-2021।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध का स्थलीय निरीक्षण **दि0 04.09..2021** को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री कुलदीप सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, गैरसैंण साथ में उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध का वैकल्पिक संरेखण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मौके पर पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध के प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये।

तिथि 21-09-2021
स्थान–गोपेश्वर।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिज़र्व, गोपेश्वर।

प्रारूप – 22

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **04.09.2021** को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	वन पंचायत	नेल लगा फरकण्डे	बांज	Quercus leucotrich ophora	70	37	08	02	–	–	–	–	–	–	117
2.		तलगांव			66	27	08	–	–	–	–	–	–	–	101
योग :–					**136**	**64**	**16**	**02**	–	–	–	–	–	–	**218**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।